

5/12/25  
#1288

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडागढ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - रूपाली)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 1008 दायर दिनांक 09/10/25 निर्णय दिनांक 09/10/25



ग्रामीण सेवा शिविर 2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	रूपाली	4	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसिलीदार कपासन की अनुशंभा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रूपाली</u> प.ह. <u>रूपाली</u> खालास <u>4</u> ..... में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-  
1. पटवारी पटवार मण्डल पटवारी मण्डल कपासन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। (उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चितौडागढ

तहसिलीदार (भू.अ.)  
तहसीलदार कपासन  
चितौडागढ